BEFORE THE BOARD OF REVENUE, MADHYA PRADESH, GWALIOR

विविध-3359/2018/सागर/ग्वा.

Dinesh Kumar Malaiya, aged 68 years,
S/o Late Shri Balchand Malaiya R/o
Station Road, Tilakganj Ward, Sagar
Teh. and Distt. Sagar

---- Petitioner/Applicant

V/s.

(1) Premlata W/o Ashok Thakur
(2) Ashok Thakur alas Ashok Suryesh
S/o Gulab S/o Gulabchand
Both residents of Subhash Nagar,
Shastri Ward, Shuklaji Ki Gali,
Sagar Teh. & Distt. Sagar

---- Respondents/Non applicants

For limitation :-

Applied for Certified copy of appellate order on 10-04-2018

Certified copy delivered on 11-04-2018

Order of Trial Court :-

Trial Court order by Tahsildar, Sagar dated 13-01-2017 in Rev. Case No. 45-B-121 of 2014-15, Village Bachhlone P.C.No. 9.

Finding : Tahsilder had given finding that forgery in mutation Register proceedings had been committed by the than Patwari by adding note which was post scripts after complition of mutation proceedings and directing patwari to lodge the complaint in the police where as it was the only the Tahsildar was competent to file complaint.

Order of Appellate Court :-

Appeal by respondent / Non-applicant to set aside the order of Tahsildear in toto. S.D.O. Sagar Court Revenue Appeal No. 58/B-121 of 2016-17. Complainant / Respondent filed counter appeal claiming that S.D.O. should direct Tahsildar to file Criminal complaint himself instead of directing patwari to file Complaint. The appellants/Respondent herein withdrew appeal preferred by them unconditionaly resulting therein

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध-3359/20818/सागर/भू.रा. दिनेश विरूद्ध प्रेमलता

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-06-2018	आवेदक की ओर से श्री जे.एल. अग्निहोत्री, अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार सागर जिला सागर के आदेश दिनांक 13-01-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है पटवारी श्री अशोक सूर्येश द्वारा अपनी पत्नी को लाभ पंहुचाने की दृष्टि से नामांतरण पंजी क्रमांक 16 दिनांक 15-01-1987 वर्ष 1986-87 में भूमि को सडक के किनारे दर्शा कर शासन को स्टाम्प शुल्क की क्षति पंहुचा कर नामांतरण कराया है । अत: विक्रेता लक्ष्मन अहिरवार व तत्कालीन पटवारी श्री अशोक सुर्येश के कृत्य से शासन को हुई क्षति राशि की वसूली मय ब्याज के किया जाना उचित है । प्रकरण उपपंजीयक को भेजकर स्टाम्प क्षति की गणना व तत्समय से ब्याज सहित राशि का आंकलन कराया जावे । और तत्पश्चात उनके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने हेतु वर्तमान हल्का पटवारी को आदेशित किया जाता है । संहिता की धारा 8 के अंतर्गत राजस्व मंडल की पर्यवेक्षीय अधिकारिता उन विषयों तक सीमित है जिन पर मंडल को अपीली और पुनरीक्षण अधिकारिता है । और चूंकि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश प्रशासकीय है । जिसके कारण प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं रह जाता है । इस तर्क के समर्थन में 1993 रा.नि. 259 के न्याय दृष्टांत प्रसतुत है । अत: आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य 27/6	